संख्याः–2086/XIV–1/10–5(31)/2010

प्रेषक,

डा0 दिलबाग सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक ,
सहकारी समितिया,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 01 ~~दिसम्बर, 2010~~ फरवरी, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10052–53/सह0न्याया0/2010–11 दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च; 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित अवचनबद्ध मदों में कुल धनराशि ₹ 45,000/– (रूपये पैंतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते है :–

अनुदान संख्या–18 आयोजनेत्तर (धनराशि रू0 हजार में)

2425– 001– 05–	सहकारिता निदेशन तथा प्रशासन सहकारिता न्यायाधिकरण	वर्तमान स्वीकृति
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30
17–	किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	15
	योग 05	45

(रू0 पैतालीस हजार मात्र)

2- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिमाह आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6- इस सम्बन्ध वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर सूचित करें।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारिता न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

8- ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्याः–236(NP)/**XXVII**–(1)/2010 दिनांक 14 जनवरी, 2011 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 दिलबाग सिंह)
सचिव।

संख्याः–2686(1)/XIV-1/ 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।